

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी.ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 193 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र ३, शक 1927

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्रारूपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(क्रमांक 13 सन् 2005)

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005**

**विषय सूची**

**खण्ड :**

**अध्याय - 1**

**प्रारंभिक**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं

**अध्याय - 2**

**निजी विश्वविद्यालय की स्थापना**

3. निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य
4. निजी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण
5. प्रस्ताव का मूल्यांकन
6. आशय पत्र जारी करना
7. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें
8. परिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण
9. स्थापना तथा निगमन

**अध्याय - 3**

**निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन**

10. स्ववित्तीय निजी विश्वविद्यालय
11. विन्यास निधि
12. सामान्य निधि
13. सामान्य निधि का उपायोजन
14. विश्वविद्यालय के अधिकारी
15. कुलाध्यक्ष
16. कुलाधिपति
17. कुलपति
18. कुल सचिव
19. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
20. अन्य अधिकारी
21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
22. शासी निकाय
23. प्रबंध मंडल

- 24. शैक्षणिक परिषद्
- 25. अन्य प्राधिका
- 26. प्रथम परिनियम
- 27. अनुगामी परिनियम
- 28. प्रथम अध्यादेश
- 29. अनुगामी अध्यादेश
- 30. रिक्तियां, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं
- 31. आपात रिक्तियों की पूर्ति
- 32. समिति
- 33. विश्वविद्यालय अभिलेख, साक्ष्य का उपकरण
- 34. विनियम
- 35. परिनियम, अध्यादेश और विनियम की प्रभावशीलता

#### **अध्याय - 4**

##### **निजी विश्वविद्यालय का विनियम**

- 36. विनियामक आयोग
- 37. वार्षिक प्रतिवेदन
- 38. वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा
- 39. नियतकालिक निरीक्षण

#### **अध्याय - 5**

##### **निजी विश्वविद्यालय का परिसमाप्त**

- 40. प्रायोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन
- 41. कठिनाईयों में राज्य शासन की विशेष शक्तियां

#### **अध्याय - 6**

##### **प्रकीर्ण**

- 42. नियम बनाने की शक्ति
- 43. कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियां
- 44. निरसन एवं व्यावृत्ति
- अनुसूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 13 सन् 2005)

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005**

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं नियमन के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तत्संबंधी विषयों या आनुषांशिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**अध्याय - एक : प्रारंभिक**

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.**
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 है।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
  - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएँ.**
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, -
  - (1) “शैक्षणिक परिषद्” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्।
  - (2) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्” से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्।
  - (3) “भारतीय विधिज्ञ परिषद्” से अभिप्रेत है, इड़क्कोकेट एकट 1961 (क्र. 25 सन् 1961) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्।
  - (4) “प्रबंधन मण्डल” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन मण्डल।
  - (5) “कुलाधिपति” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति।
  - (6) “मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी।
  - (7) “दूरस्थ शिक्षा परिषद्” से अभिप्रेत है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (क्र. 50 सन् 1985) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद्।
  - (8) “विन्यास निधि” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि।
  - (9) “शुल्क” से अभिप्रेत है, विद्यार्थियों से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संकलित राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जावे।
  - (10) “शासन” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।

- (11) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल.
- (12) “शासी निकाय” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का शासी निकाय.
- (13) “उच्च शिक्षा” से अभिप्रेत है. ज्ञानार्जन के लिए 10+2 स्तर से आगे निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यसंरचना का अध्ययन.
- (14) “मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया” से अभिप्रेत है, इंडियन मेडिकल कौसिल एक्ट 1956 (क्र. 2, सन् 1956) के अधीन गठित मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया.
- (15) “मुख्य परिसर” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर, जिनके कम से कम पांच अध्यापन विभाग अथवा अध्ययन शालाएं हों और जहां कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो.
- (16) “नेशनल कौसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एकेडिटेशन” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी संस्थान नेशनल कौसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एकेडिटेशन, बैंगलौर.
- (17) “दूर परिसर केन्द्र” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो मुख्य परिसर से बाहर किन्तु राज्य के भीतर हो तथा जिसका संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में होता हो.
- (18) “अध्यादेश” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का अध्यादेश.
- (19) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग.
- (20) “निजी विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित एवं संचालित निजी विश्वविद्यालय.
- (21) “फार्मेसी कौसिल ऑफ इंडिया” से अभिप्रेत है, फार्मेसी अधिनियम 1948 (क्र. 8, सन् 1948) के अधीन गठित फार्मेसी कौसिल ऑफ इंडिया.
- (22) “नियामक अभिकरण” से अभिप्रेत है, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा स्थापित नियामक अभिकरण जो उच्च शिक्षा के मानक स्तर को सुनिश्चितता के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करें.
- (23) “विनियामक आयोग” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग.
- (24) “विनियमन” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित विनियमन.
- (25) “कुल सचिव” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुल सचिव.
- (26) “राज्य” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.
- (27) “अध्ययन केन्द्र” से अभिप्रेत है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो

प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाद्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है।

- (28) “परिनियम” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निजी विश्वविद्यालय के परिनियम।
- (29) निजी विश्वविद्यालय से संबंधित “प्रायोजक निकाय” से अभिप्रेत है :-
  - (क) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44, सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी,
  - (ख) कोई पंजीकृत सार्वजनिक न्यास,
  - (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्र. 1, सन् 1956) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी तथा,
  - (घ) अन्य कोई निकाय जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो।
- (30) “विद्यार्थी” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति जो उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र अथवा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टता प्राप्ति के लिए किसी पाद्यक्रम का अध्ययन करता है।
- (31) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची।
- (32) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां।
- (33) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियां।
- (34) “अध्ययन शाला” से अभिप्रेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषना के स्थान के रूप में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था।
- (35) “अध्यापक” से अभिप्रेत है, प्राच्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता या किसी अन्य पदनाम का व्यक्ति जो शिक्षण कार्य करे अथवा शोधकार्य का निर्देशन करे अथवा विश्वविद्यालय के किसी पाद्यक्रम के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे।
- (36) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्र. 3, सन् 1956) के अधीन स्थापित आयोग।
- (37) “यू.जी.सी. विनियम 2003” से अभिप्रेत है, यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानक संतर का संधारण) का विनियम 2003।
- (38) “कुलाध्यक्ष” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष।
- (39) “कुलपति” से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलपति।
- (40) “गरीबी रेखा से नीचे के परिवार” से अभिप्रेत है, ऐसे परिवार जिनकी आय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे हो।

### अध्याय - दो : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

3. निजी विश्वविद्यालय के नीचे दर्शाए सामान्य उद्देश्य होंगे :-

निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

- (क) उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विसरण का प्रावधान करना.
  - (ख) उच्चतर बौद्धिक क्षमता का सृजन करना.
  - (ग) शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाओं को सुलभ कराना.
  - (घ) अध्यापन तथा शोध करना एवं शिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर उपलब्ध कराते रहना.
  - (ड) शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करना.
  - (च) उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना.
  - (छ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक उपलब्धियों हेतु मापदण्ड यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., बी.सी.आई., एम.सी.आई., डी.ई.सी. या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानक स्तर से निम्नतर स्तर का न हो.
  - (ज) किसी ऐसे अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो समय-समय पर विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हो.
4. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन आवेदन के साथ विनियामक आयोग को; निर्धारित शुल्क तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये, प्रस्तुत किया जावेगा।
- (2) परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जावे अर्थात् :-
- (क) प्रायोजक निकाय के पंजीकरण प्रमाणपत्र, संविधान तथा उपविधियों के साथ अन्य विस्तृत विवरण,
  - (ख) विगत 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी,
  - (ग) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान तथा मुख्य परिसर,
  - (घ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य,
  - (ड) भूमि, भवन तथा अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता,
  - (च) निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत व्यौरा यथा: भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों को प्राप्त करने आदि हेतु योजना साथ ही आगामी पांच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप-रेखा,
  - (छ) पंजीगत व्यय का आगामी पांच वर्ष के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के घोट,
  - (ज) संकायों की प्रकृति एवं संख्या यथा: विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि. पढ़े जाने वाले पाद्यक्रमों के प्रकार जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर एवं निजी

- विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किये जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्यक्रम एवं राज्य के विकासात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में एवं उनकी प्रासंगिकता तथा आगामी 5 वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम तथा पाद्यक्रमानुसार प्रवेश देने वाले छात्रों की लक्षित संख्या,
- (ङ) संबंधित विधाओं में प्रायोजक निकाय को उपलब्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता,
  - (ज) अध्यापन किये जाने वाले पाद्यक्रमों तथा शोध कार्य हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधायें यथा : अध्यापक, तकनीकी / गैर-तकनीकी कर्मचारी एवं उपकरणों की उपलब्धता,
  - (ट) पाद्यक्रम अनुसार या कार्यक्रम अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा उपलब्ध वित्त के प्रोत तथा अनुमानित प्रति विद्यार्थी व्यय,
  - (ठ) संसाधनों को गतिमान करने की योजना एवं इस हेतु पूँजी की लागत तथा उसके ऐसी प्रोतों की भुगतान की प्रक्रिया,
  - (ड) आंतरिक प्रोतों जैसे छात्रों से शुल्क की वसूली परामर्श-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष-निर्माण की योजना,
  - (ढ) विभिन्न पाद्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढांचा व्यय का विस्तृत विवरण, शुल्क में दी जाने वाली रियायत या छूट या परिहार तथा छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली छूट का विवरण,
  - (ण) निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न पाद्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया,
  - (त) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया,
  - (थ) दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित केन्द्र के नाम के साथ विस्तृत विवरण,
  - (द) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण,
  - (घ) कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम,
  - (न) खेल मैदान तथा अन्य उपलब्ध या प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण यथा: राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना; स्काऊट एवं गाईड का विवरण,
  - (प) दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना विशेषकर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में,
  - (फ) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता एवं औचित्य का प्रतिपादन,

प्रस्ताव का मूल्यांकन.

5. (1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्राप्त होने के पश्चात् विनियामक आयोग प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों की जांच-पड़ताल, जैसा कि आवश्यक समझेगा यथासंभव 07 दिनों में पूरी करेगा.
- (2) जांच पड़ताल की अवधि में विनियामक आयोग किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत, यथासंभव विनियामक आयोग 45

दिनों के भीतर प्रायोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य पूरा करेगा। मूल्यांकन करते समय विनियामक आयोग निम्नांकित बातों विचार में रखेगा :-

- (क) जिस क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है वहां उच्च शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं,
- (ख) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के पास यदि कोई विशिष्ट योग्यता या कोई नया पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हों जो कि राज्य में उपलब्ध अकादमिक संसाधनों की वृद्धि करे एवं मानव संसाधन के विकास में मदद करें,
- (स) पिछड़े क्षेत्रों के उन्नयन अथवा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए व राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में दूरस्थ परिसर प्रारंभ करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम,
- (द) उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराते हुए समाज सेवा एवं युवकों का कल्याण निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है।

6. (1) धारा 5 में उल्लिखित जांच व मूल्यांकन पूर्ण करने के पश्चात् एवं इस बात से संतुष्ट होने पर निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर दिया जा सकता है, विनियामक आयोग राज्य सरकार को प्रायोजक निकाय के हक में आशय पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा करेगा।

आशय पत्र जारी करना।

(2) विनियामक आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को आशय पत्र जारी करने पर विचार कर सकता है।

7. धारा 6 (2) में उल्लिखित आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होगी जो प्रायोजक निकाय को इस राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पूरी करनी होगी, अर्थात् :

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें।

(1) वह स्थापित करेगा :-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र,
- (ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप विन्यास निधि.

(2) वह न्यूनतम निम्नलिखित प्राप्त करेगा -

- (क) 15 एकड़ भूमि यदि रायपुर नगर-निगम की सीमा के अंदर मुख्य परिसर की स्थापना प्रस्तावित है,
- (ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमी कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा।

(4) वह परिवचन देगा कि -

- (क) यह कि निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु ही किया जावेगा,
- (ख) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल बाद तथा कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व पर्याप्त संख्या में आवश्यक संकाय सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारीवृद्धों की नियुक्ति हर विभाग या विषय में कर दी जावेगी,

- (ग) पर्याप्त संख्या में उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री सुलभ कावेगी, तथा प्रथम पांच वर्षों में रुपये बीस लाख राशि प्रति वर्ष छवें की जावेगी,
- (घ) प्रथम वर्ष में कम से कम दस लाख की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं क्रय की जावेगी तथा प्रथम तीन वर्ष में पचास लाख रुपये की राशि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर व्यय की जावेगी जो कि ग्रंथालय में पर्याप्त समकालीन अध्यापन तथा शोध कार्य की जरूरतों के मुताबिक हो,
- (ङ) नियमित पाद्यक्रम से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जावेगा जिससे कि ऐसे उचित अकादमी तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके, उदाहरणार्थ संगोष्ठी, वाद-विवाद, प्रश्नमंच कार्यक्रम तथा अन्य पाद्येतर गतिविधियां जैसे कि एम.सी.सी., एन.एस.एस., खेल-कूद आदि, जो कि विद्यार्थियों के हित में हों तथा इस विषय की अधिकारिता रखने वाली संस्थाओं द्वारा समर्थित हों,
- (च) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्यक्रम चलाये जायेगे,
- (छ) केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहीत अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा एवं उनके द्वारा चाही गई समस्त जानकारियां को प्रदान किया जायेगा,
- (ज) समय-समय पर केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा विहीत ऐसे न्यूनतम मापदण्डों का अनुपालन किया जायेगा, जो पाद्यक्रम, संकायों, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों से संबंधित है,
- (झ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाद्यक्रमों के अंत में दिये जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि यू.जी.सी. अथवा अन्य संबंधित निकायों के विनियमों/मापदण्डों के अनुरूप होंगी,
- (ब) प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण नियामक निकायों द्वारा विहीत मापदण्डों/दिशा-निर्देशों, यदि कोई हैं, के अनुरूप होंगे,
- (ट) निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के पास यू.जी.सी. व अन्य संबंधित निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहता रखते हों; तथा उन्हें उचित वेतन प्रदाय किया जावेगा,
- (ठ) निजी विश्वविद्यालय सभी जाति, वर्ग, धर्म, वंश, लिंग के लिये खुला रहेगा एवं निजी विश्वविद्यालय के लिये यह वैधानिक नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को उसकी धर्मिक आस्था या व्यवसाय के कारण किसी भी प्रकार की पृथक परीक्षा से गुजारे, चाहे वह धर्म संबंधी हो या अन्य हो, या किसी व्यवसाय से संबंधित हो जिससे अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो या अन्य किसी पद पर उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो, या विद्यार्थी के रूप में उसके प्रवेश को प्रंभावित करती हो, या उसके किसी भी अधिकार से वंचित करती हो,
- (ड) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा.

8. (1) प्रायोजक निकाय अनुपालन प्रतिवेदन परिवचन तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों सहित परिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा। सत्यापन तथा निरीक्षण।
- (2) अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विनियामक आयोग उसकी तथा ऐसे तरीके में जैसा व उचित समझे, तथ्यात्मक आंकड़ों की जांच करेगा जिसमें स्थल निरीक्षण भी शामिल है।
- (3) उपधारा (2) में उल्लिखित अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन की जांच करने पर यदि इसमें विनियामक आयोग को किसी प्रकार की कमी नजर आये तो वह प्रायोजक निकाय को शीघ्रातिशीघ्र इन पहिचानी कमियों को दूर करने का निर्देश देगा।
- (4) विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट होने पर कि, ऊपर उल्लिखित उपधारा (3) के अनुसार पहिचानी कमियों को दूर कर दिया गया है, पहिचानी कमियों को पूरा करने की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर, राज्य शासन को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन भेजेगा।
- (5) विनियामक आयोग से उक्त उपधारा (4) के अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, राज्य शासन यू.जी.सी. से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा।

परंतु यह भी कि यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक 3 माह के अंदर देगा अन्यथा राज्य शासन अपने विवेकानुसार आगामी कार्यवाही करेगा।

9. (1) विनियामक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। स्थापना तथा निगमन,
- (2) इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से माना जावेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है। परंतु यह भी कि उक्त उपधारा (2) में दर्शायी निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा।
- (3) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में संशोधित नाम का एक निगमित निकाय होगा। जिससे शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य चिन्ह होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सम्पत्ति एवं उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकेगा, जो अनुबंध कर सकेगा, वाद चला सकेगा या उस नाम से उस पर वाद चलाया जा सकेगा।
- (4) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही होने पर अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित किये जावेगे तथा इस तरह के वाद या कानूनी कार्यवाही की सभी प्रक्रिया निजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम तामील होगी।
- (5) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ऐसे स्थान पर होगा जो अनुसूची के पांचवें कॉलम में दर्शाया गया है।

### अध्याय-तीन : निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

- स्ववित्तीय निजी विश्वविद्यालय.
10. निजी विश्वविद्यालय स्ववित्तीय होगा, तथापि लिखित कारण दर्शाए हुए शासन इसे वित्तीय/भौतिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है।
- विन्यास निधि.
11. (1) उपर्युक्त धारा 6 (2) के अंतर्गत राज्य शासन से इच्छा पत्र प्राप्त होने पर ऐसा प्रायोजक निकाय जो इच्छा पत्र में दी गई शर्तों एवं परिवर्चनों को पूर्ण करने तत्पर है, निजी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की स्थापना, विनियामक आयोग के कोष में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नीचे दर्शाई गयी राशि जमा करेगा।
- (क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर एक करोड़ रुपये।
- (ख) अन्य प्रकरणों में तीन करोड़ रुपये।
- परंतु, प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विन्यास निधि में जमा राशि समायोजित कर ली जावेगी।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के उपबंधों के अनुरूप कार्य कर रहा है, यह विन्यास निधि सुरक्षा निधि के रूप में प्रयुक्त होगी। प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन के किसी भी उपबंध के उल्लंघन या भंग करने पर विनियामक आयोग की अनुशंसा पर, राज्य शासन संपूर्ण विन्यास निधि या उसके किसी अंश को समप्रहृत कर सकेगा।
- (3) विन्यास निधि के स्थापना की विधि, उसके विनियोजन की विधि, इससे प्राप्त आय को प्रायोजक निकाय को भुगतान, उसके राजसात करने और प्रायोजक निकाय को वापस करने की विधि इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जावे।
- सामान्य निधि.
12. प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक सामान्य कोष की स्थापना करेगा, जो सामान्य कोष के नाम से जाना जावेगा एवं जिसमें निम्न प्रकार की राशि जमा की जावेगी :-
- (क) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क तथा अन्य प्रभार।
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान।
- (ग) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों के परिपालन में किये जाने वाले किसी परामर्श या अन्य कार्य के द्वारा प्राप्त आय।
- (घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य प्रकार का अनुदान, तथा
- (ङ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि।

परंतु विद्यार्थियों से खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का एक प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से नियामक आयोग के पास शुल्क प्राप्ति के माह के अगले माह के 15 दिनों के अंदर जमा किया जाना होगा। यदि कोई निजी विश्वविद्यालय उपरोक्त शुल्क विनियामक आयोग के पास नियत समय में जमा करने में असफल होता है तो प्रति 30 दिन पर 1.5 प्रतिशत शास्त्रिक व्याज की दर से साथ संपूर्ण राशि जमा करेगा। यदि इस राशि को जमा करने में 90 दिन से अधिक का व्यतिक्रम होता है तो इस कार्य को अधिनियम का उल्लंघन माना जावेगा एवं विनियामक आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परंतु आगे यह भी कि विनियामक आयोग इस राशि को यथोचित समय में राज्य के संचित निधि में जमा करेगा।

13. सामान्य निधि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु होगा, यथा :-

सामान्य निधि का उपायोजन।

- (1) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, नियमन के उद्देश्य हेतु लिये गये उधार जिसमें व्याज भी शामिल है, के भुगतान हेतु।
- (2) निजी विश्वविद्यालय की सम्पदा के रख-रखाव हेतु।
- (3) कोष की धारा (11) एवं (12) के अंतर्गत निर्मित निधियों के अंकेक्षण पर व्यय का भुगतान।
- (4) न्यायालय में ऐसे वाद या वैधानिक कार्यवाही संबंधी व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष हो।
- (5) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध कार्य में संलग्न स्टॉफ के बेतन तथा भत्ते का भुगतान तथा भविष्य निधि, अंशदान, उपादान तथा अन्य लाभ का भुगतान।
- (6) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल, अकादमिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारी के सदस्यों तथा इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमन के किसी भी प्रावधान के परिपालन हेतु प्रयोजक निकाय के किसी प्राधिकारी या अध्यक्ष या कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों के यात्रा-भत्तों या अन्य भत्तों के भुगतान हेतु।
- (7) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, शुल्कमुक्ति, सहायकवृत्ति तथा अन्य पुरस्कार या शोध सहायुक्त, प्रशिक्षा या अन्य ऐसे विद्यार्थी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निजी विश्वविद्यालय के संविधि, अध्यादेशों एवं विनियमों या नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं।
- (8) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान।
- (9) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निवेश में पूँजीगत व्यय का भुगतान जो व्याज की प्रचालित बैंक दर से अधिक न हो।
- (10) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अंतर्गत परामर्श संबंधी किये जाने वाले कार्यों से संबंधित व्यय एवं प्रभार का भुगतान।
- (11) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिये अनुमोदित होने पर प्रायोजक निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की व्यवस्था का दायित्व वहन करने वाली किसी संस्था को किया जाने वाला व्यवस्था शुल्क सहित व्यय का भुगतान।

परंतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मंडल के पूर्वानुमोदन बिना जैसा भी निश्चय किया गया हो, कोई व्यय नहीं किया जावेगा जो प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।

परंतु यह भी कि सामान्य निधि की राशि का उपयोग जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित उद्देश्य के लिये उल्लिखित है, निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

14. निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे यथा :-

- (1) कुलाध्यक्ष
- (2) कुलाधिपति
- (3) कुलपति
- (4) कुलसचिव
- (5) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
- (6) अन्य ऐसे अधिकारी, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के संविधि के अंतर्गत अधिकारी के रूप में की जावे।

कुलाध्यक्ष.

15. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, जब वे उपस्थित होंगे, निजी विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियाँ होंगी, यथा :-

- (क) कुलपति की नियुक्ति करना,
- (ख) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी अभिलेख अथवा सूचना मांगना,
- (ग) कुलाध्यक्ष को भेजी गयी जानकारी के आधार पर, यदि वह संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, प्रक्रिया अथवा निर्णय इस अधिनियम, विनियमों एवं नियमों के अनुरूप नहीं है, तो कुलाध्यक्ष विनियामक आयोग से अभिमत प्राप्त कर सकेगा। ऐसा समाधान होने पर कि कोई अनियमितता हुई है तो वह इस प्रकार के निर्देश प्रसारित कर सकेगा जैसा कि वह निजी विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे तथा इस प्रकार जारी किए गए निर्देश निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किये जायेंगे।
- (घ) कुलाधिपति अथवा अन्य किसी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कुलपति के विरुद्ध जांच करना।

कुलाधिपति.

16. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से 3 वर्षों के लिए की जायेंगी।

परंतु, किसी निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने तथा उसे कार्यात्मक बनाने के लिये, प्रायोजक निकाय, राज्य शासन से सलाह लेकर कम से कम 1 वर्ष के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति करेगा परंतु यह 3 वर्षों से अधिक के लिये नहीं होगी।

- (2) कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का संस्था प्रमुख होगा।
- (3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाधि तथा पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

- (4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियों होगी यथा :-
- किसी भी सूचना अथवा अभिलेख को मंगा सकना.
  - शिकायतों के आधार पर यदि वह संतुष्ट होता है कि कुलपति के कार्य से निजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन हुआ है अथवा कोई विचार अनिवार्यता की गई है तो कुलपति को पदच्युत करने के लिए कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट (प्रतिवेदन) देना.
17. (1) कुलपति की नियुक्ति, इस कार्य के लिए गठित खोजबीन समिति द्वारा अनुशांसित नाम-  
सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जावेगी। कुलपति.
- (2) उपधारा (1) में उल्लिखित सर्व कमेटी निमानुसार होंगी :-
- प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 2 छायात्रिप्राप्त शिक्षाविद्.
  - उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक छायात्रिप्राप्त व्यक्ति,  
खोजबीन समिति से सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा.
- (3) खोजबीन समिति न्यूनतम् 3 छायात्रिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगी।
- परंतु, यदि खोजबीन समिति द्वारा अनुशांसित नाम-सूची को कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वे समिति से नवी अनुशांसा मंगा सकता है।
- परंतु आगे यह भी कि, नव-स्थापित निजी विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए कुलाध्यक्ष द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से 2 वर्षों के लिए कुलपति की नियुक्ति की जा सकेगी।
- (4) कुलपति की नियुक्ति, उपधारा (10) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप 4 वर्षों के लिए होगी।
- परंतु समय सीमा समाप्ति के पश्चात् भी नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करते तक वे अपने पद पर बने रहेगे। किन्तु किसी भी स्थिति में यह समय सीमा 6 माह से अधिक नहीं होगी।
- (5) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बनाये रखेगा तथा निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों का क्रियान्वयन करवायेगा।
- (6) कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति दोनों की अनुस्थिति में, कुलपति निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (7) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसकी शक्तियों किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा अवकाश के अंतर्गत प्रदत्त की गई है, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझता हो तथा की गई कार्यवाही से यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अवगत करायेगा, जो कि सामान्यतः उस मामले में कार्यवाही करता है :

परंतु, यदि संबंधित प्राधिकारी के अभिभत में इस प्रकार की कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो इस प्रकार का प्रकरण, निर्णय हेतु कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

परंतु, यह भी कि यदि कुलपति के द्वारा की गई कार्यवाही निजी विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर शासी निकाय के समक्ष अपील करने हेतु अधिकृत होगा। शासी निकाय का निर्णय संबंधित व्यक्ति को अपील करने की तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर सूचित कर दिया जावेगा।

- (8) यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर है अथवा निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल हो सकता है तो वह इस निर्णय को संशोधित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को अनुरोध करेगा एवं उस स्थिति में जबकि प्राधिकारी 15 दिन के भीतर उक्त निर्णय को पूर्णतः या अंशतः संशोधित करने से अस्वीकार करता है, तो ऐसा प्रकरण कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो शासी निकाय को पुष्टि के लिए भेजा जावेगा।
  - (9) कुलपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जावेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन किया जावेगा जैसा कि परिनियम और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट हो।
  - (10) यदि किसी समय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा भी कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने-
    - (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में गलती की है अथवा,
    - (ख) उसने निजी विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्य किया है अथवा,
    - (ग) निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों के सम्पादन में अक्षम सिद्ध हुए हैं तो कुलाध्यक्ष, इस तथ्य को जानते हुए भी कि उनके कुलपति पद की समय-सीमा पूरी नहीं हुई है, तथापि कारणों का उल्लेख करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, कुलपति के पद को उस तिथि से रिक्त करने के लिए कह सकता है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।
  - (11) उपधारा (10) के अंतर्गत ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कुलपति को, समुचित आधार दर्शाते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना न दे दी जाये और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाये।
  - (12) उपधारा (10) के अंतर्गत आदेश में उल्लिखित दिनांक से, कुलपति अपने पद से पदमुक्त माने जा सकेंगे और कुलपति का पद रिक्त माना जावेगा।
- कुलसचिव.
18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस कार्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर परिनियम में दर्शाये अनुसार की जावेगी, परंतु प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जावेगी।
  - (2) कुल सचिव द्वारा निजी विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंध हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सभी दस्तावेज एवं अभिलेख अधिकारिक किये जायेंगे।

- (3) कुल सचिव स्वशासी निकाय, प्रबंध मंडल और अकादमिक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे किन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होगा.
- (4) कुल सचिव द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किया जा सके.
- (5) किसी समय यह ज्ञापित कराये जाने पर या अन्यथा भी, जांच उपरांत स्थितियां सचेत करती हों कि कुलसचिव का पद पर बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है; तो कुलपति, उन कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए कुलसचिव को पदमुक्त करने के लिए कुलाधिपति को कह सकता है.

परंतु, इस उपधारा के अंतर्गत कार्यवाही करने के पूर्व कुलसचिव को सुनने का अवसर दिया जावेगा.

- 19. (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस प्रकार की जावेगी जैसा कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी परिनियमों द्वारा निर्देशित किया जावे.
- (2) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जावे.
- 20. (1) निजी विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि उसके अन्य अधिकारी संचालन के लिए आवश्यक हो.
- (2) निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां व कार्य उस प्रकार के होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किये जावें.
- 21. (1) निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, यथा- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
  - (क) शासी निकाय
  - (ख) प्रबंध मंडल
  - (ग) शैक्षणिक परिषद् तथा
  - (घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा सृजित किया जाकर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जावे.
- (2) शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा. कोई भी नामांकित सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जावेगा.
- 22. (1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन निम्नानुसार होगा, यथा- शासी निकाय.
  - (क) कुलाधिपति,
  - (ख) कुलपति,
  - (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 3 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिनमें कम से कम 01 व्यक्ति शिक्षाविद् होगा.
  - (घ) राज्य शासन द्वारा ख्यातिप्राप्त 3 नामों की सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन व्यक्तियों को नामांकित किया जावेगा.

- (ङ) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव के स्तर से नीचे का न हो।
- (२) कुलाधिपति शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (३) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा। विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल संपत्ति पर शासी निकाय का अधिकार होगा।
- उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा-
- (क) इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अंतर्गत दी गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निजी विश्वविद्यालय के संचालन का नियंत्रण करना, सामान्य देखभाल करना एवं निर्देशित करना,
- (ख) निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना यदि वे इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों से सुसंगत न हों,
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना,
- (घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत नीतियों का निर्धारण करना,
- (ङ) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये कि निजी विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से कार्य करना संभव नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रायोजक निकाय को स्वेच्छया भंग करने की अनुशंसा करना,
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों जो संविधियों द्वारा निर्धारित की जावे।
- (४) शासी निकाय की बैठक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी।
- (५) शासी निकाय की बैठकों के लिये गणपूर्ति कम से कम पांच की होगी।

प्रबंध मंडल.

23. (१) प्रबंध मंडल का गठन निम्नानुसार होगा, यथा-

- (क) कुलपति,
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि,
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि,
- (घ) निजी विश्वविद्यालय के दो क्रमानुसार वरिष्ठतम् प्राध्यापक,
- (ङ) निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम् शिक्षक जो उपधारा (१) (घ) के अतिरिक्त-चक्रीय क्रम में लिये जावेगे।
- (२) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा।
- (३) प्रबंध मंडल की शक्तियाँ एवं दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जावेगे।
- (४) प्रति दो माह में प्रबंध मंडल की कम से कम एक बैठक होगी।
- (५) प्रबंध मंडल की बैठकों में गणपूर्ति पांच का होगा।

शैक्षणिक परिषद्

24. (१) शैक्षणिक परिषद् में कुलपति तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित की जावेगी :

- (2) कुलपति शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष होगा।
- (3) शैक्षणिक परिषद् निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण बनाये रखेगी।
- (4) शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में गणपूर्ति परिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
25. निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, संविधान, शक्तियों एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अन्य प्राधिकारी, कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।
26. (1) इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम द्वारा निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकेगा, यथा-
- (क) समय-समय पर गठित निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियों एवं कर्तव्य।
  - (ख) कुलपति की नियुक्ति की शर्तें तथा उसकी शक्तियों एवं कर्तव्य।
  - (ग) कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियों एवं कर्तव्य।
  - (घ) अन्य अधिकारियों एवं संकाय के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियों एवं कर्तव्य।
  - (ङ) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।
  - (च) अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया।
  - (झ) मानद उपाधियों प्रदान करना।
  - (ज) शिक्षा शुल्क से मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान।
  - (झ) प्रवेश संबंधी नीति, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, विकलांग एवं लड़कियों की श्रेणियों के छात्र-संख्या के आरक्षण का नियमन भी समाहित हो।
  - (ञ) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क तथा ऊपर (झ) में उल्लेखित श्रेणियों की रियायत का प्रावधान।
  - (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्र-संख्या का प्रावधान।
- परंतु, यह कि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्वानुमोदन बिना, छात्रों से दान अथवा कैपिटेशन शुल्क लेने संबंधी कोई परिनियम नहीं बनायेगा।
- (2) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा विनियामक आयोग के अनुमोदन उपरांत बनाया जायेगा।
- (3) विनियामक आयोग, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं ऐसे संशोधनों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

- (4) विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमों पर, जैसा कि वे विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हैं, अपनी सहमति संसूचित करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत किये गये संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु सहमत न हो, तो वह उसका कारण बता सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को विनियामक आयोग स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।
- (5) राज्य सरकार, प्रथम परिनियमों को, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसे परिनियम प्रभावशील होगे।
- अनुगामी परिनियम।**
27. (1) इस अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन निजी विश्वविद्यालय के परिनियम में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किन्हीं विषयों का प्रावधान हो सकेगा-
- (क) निजी विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारी का सृजन।
  - (ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया।
  - (ग) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व।
  - (घ) नये विभागों का निर्माण तथा विद्यमान विभागों का विलयन या पुनर्गठन।
  - (ङ) पदक एवं पुरस्कारों का सृजन।
  - (च) पदों का सृजन एवं विलयन।
  - (छ) शुल्क का पुनर्निर्धारण।
  - (ज) विभिन्न पाद्यक्रमों में निर्धारित छात्र-संख्या में परिवर्तन।
  - (झ) अन्य ऐसे विषय जो अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होने हैं।
- (2) प्रथम परिनियमों के अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय के अन्य परिनियम, प्रबंध मंडल द्वारा, शासी निकाय के अनुमोदन से बनायी जायेगी।
- (3) उपधारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम विनियामक आयोग को भेजी जायेंगी तथा विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगा।
- (4) शासी निकाय, विनियामक आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करेगा एवं परिनियमों को अपनी टिप्पणी सहित विनियामक आयोग को वापस भेजेगा।
- (5) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं राज्य शासन, विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे प्रभावशील होंगे।
- प्रथम अध्यादेश।**
28. (1) इस अधिनियम, नियम तथा परिनियमों द्वारा निर्मित प्रावधानों के अधीन प्रथम अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त बिन्दुओं में से किसी बिन्दु पर विचार कर सकता है अर्थात्-
- (क) निजी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, विकलांग एवं लड़कियों पर विशेष विचार रखा जावेगा।

- (ख) निजी विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, पत्रोपाधियों व प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाद्यक्रमों का निर्धारण,
- (ग) निजी विश्वविद्यालय की उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य का प्रदान किया जाना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ एवं उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपनाये जाने वाली प्रणाली,
- (घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने संबंधी शर्तें,
- (ङ) परीक्षा समितियों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी सेवावधि व शर्तें सहित परीक्षाओं का संचालन,
- (च) निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाद्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं पत्रोपाधियों के शुल्क का निर्धारण,
- (छ) निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें,
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रावधान,
- (झ) निजी विश्वविद्यालय के अकादमिक बातावरण में सुधार हेतु आवश्यक होने पर किसी अन्य निकाय का सृजन, गठन एवं कार्यकलाप,
- (अ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली,
- (ट) अन्य सभी प्रकरण, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अंतर्गत हैं, अध्यादेशों द्वारा प्रस्तुत होने हैं।
- (2) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाया जायेगा जो विनियामक आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) उपधारा (2) के अंतर्गत कुलपति द्वारा बनाये गये अध्यादेशों पर विनियामक आयोग उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं उसे या तो अनुमोदित करेगा या संशोधन के सुझाव देगा।
- (4) कुलपति, विनियामक आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं “प्रथम अध्यादेश” को विनियामक आयोग को वापस करेगा एवं उसकी प्राप्ति पर विनियामक आयोग या तो उसे अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा, एवं उसके अंतिम निर्णय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित होगा, राजपत्र में राज्य शासन द्वारा प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेगा।
29. (1) प्रथम अध्यादेश के अतिरिक्त शेष सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से निर्मित किये जायेंगे, अनुगमी अध्यादेश।
- (2) विनियामक आयोग उपधारा 1 अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों का अनुमोदन करेगा तथा ऐसा अनुमोदित सभी अध्यादेश राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेंगे।
30. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही केवल कोई रिक्त होने के कारण अथवा गठन की त्रुटि होने के कारण अवैध नहीं होगी।

निकियों विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं।

आपात रिक्तियों की पूर्ति.

31. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा सदस्य को मुक्त करने अथवा जिस पद पर नियुक्ति या नामांकन हुआ था उसमें परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा यथाशीघ्र पूर्ति किया जावेगा, जिसके द्वारा पहले ऐसा किया गया हो.

परंतु निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अथवा निकाय की आपात रिक्तियों में सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकित होने पर वह सदस्य उस शेष समायावधि के लिये नियुक्ति या नामांकित होगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामांकन हुआ है.

समिति.

32. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसी समितियों का गठन कर सकते हैं जिनके अन्युद्देश्य की शर्तें वैसी होंगी जैसी कि इस प्रकार के समिति के विशेष कार्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो. इस प्रकार की समितियों का गठन एवं उनके कर्तव्य वैसे ही होंगे जैसे कि परिनियम में विहित हो.

विश्वविद्यालय अभिलेख सास्य का उपकरण.

33. निजी विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही किसी प्राधिकारी या समिति के प्रस्ताव अथवा अन्य दस्तावेज अथवा किसी पंजी की प्रविष्टि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किये जाने पर प्रथम दृष्ट्या ऐसी रसीद, नोटिस, आवेदन, प्रेसिडिंग प्रस्ताव अथवा इस प्रकार के विषय तथा व्यवहार के रूप में उसी प्रकार ग्राह्य होगी जैसा कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की दशा में होगी.

विनियम.

34. (1) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन गठित निजी विश्वविद्यालय के प्रधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत, परिनियम एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत विनियम का निर्माण कर सकेंगे।  
(2) प्रबंध मंडल द्वारा इस धारा के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित विनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा.

परिनियम अध्यादेश और विनियम की प्रभावशीलता.

35. सभी परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात प्रभावशील होंगे.

#### अध्याय-चार : निजी विश्वविद्यालय का विनियम

विनियामक आयोग.

36. (1) निजी विश्वविद्यालयों के विनियम के लिये राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जावेगा जो राज्य शासन एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिये होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखेगा.  
(2) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा.  
(3) विनियामक आयोग के गठन में;  
(क) एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य जिनमें से एक सदस्य “सदस्य अकादमिक” और दूसरा “सदस्य प्रशासनिक” होगा तथा दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे.  
(ख) एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होंगे.

- (4) अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा एक ऐसे पेनल से की जायेगी जिसकी अनुशंसा राज्य शासन के द्वारा की गई हो और जिसमें ऐसे ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों को शामिल किया गया हो, जिन्हें उच्च शिक्षा की संस्थाओं के कार्य का समुचित अनुभव हो।
- (5) सदस्यों की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसे पेनल में से की जायेगी जिसे राज्य शासन द्वारा अनुशंसित किया हो और जिसमें शिक्षा, वित्त, विधि, प्रशासनिक/प्रबंधन आदि में प्रसिद्ध प्राप्ति की नाम शामिल हों।
- (6) अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे होंगे जो कि इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों से किसी तरह से संबंधित न हो।
- (7) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, बैठकों की विधि, आयोग के कर्मचारीबृंद की नियुक्तियों और उनकी सेवा शर्तें, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अस्थायी सहयुक्त, आयोग की निधि, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, अंकेक्षण और इस प्रकार के अन्य मामले जो कि आयोग के सही संचालन के लिये आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये नियमों द्वारा उल्लिखित होंगे।
- (8) विनियामक आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि :-
- (क) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिये मानक स्तर बनाए रखने के लिये ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें,
  - (ख) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सके।
  - (ग) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ हो।
  - (घ) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है।
  - (इ) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिये गलत तरीके न अपनाए जाये।
  - (च) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाद्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है। इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेंगे ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। विद्यार्थियों के लिये किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं/सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।
  - (छ) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना।

- (9) नीति विषयक प्रश्नों पर राज्य शासन विनियामक आयोग को निर्देश दे सकेगा।
- वार्षिक प्रतिवेदन.
37. (1) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदमों का समावेश होगा तथा जिसका अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जावेगा, एवं इसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जायेगी।
- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति कुलाध्यक्ष एवं विनियामक आयोग को भी प्रस्तुत की जावेगी।
- वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा.
38. (1) निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा बैलेन्स्फीट प्रबंध मंडल के निर्देशों के अधीन तैयार की जावेगी तथा वार्षिक लेखा का परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा।
- (2) वार्षिक लेखा सहित, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शासी निकाय को प्रस्तुत किया जावेगा।
- (3) वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा शासी निकाय की टीप सहित एक प्रति कुलाध्यक्ष को तथा एक प्रति विनियामक आयोग को प्रस्तुत की जावेगी।
- (4) लेखा तथा ऑफिट रिपोर्ट से उत्पन्न विषय पर विनियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्देश, विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे।
- नियतकालिक निरीक्षण.
39. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय या उसके किसी केन्द्र का नियतकालिक निरीक्षण कर सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित निजी विश्वविद्यालय से आवश्यक जानकारियां मांग सकता है (विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए विवरण पत्र नियम 1979 में समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित दिये गये हो)।
- (2) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रदान करती है, के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय की कोई न्यूनता एवं असमानता पाती है तो ठीक करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगी। यदि आयोग इस बात से संतुष्ट होता है कि निजी विश्वविद्यालय ने ऐसा अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी नियमन में दिये गये प्रावधानों की पूर्ति करने में असफल है तो आयोग ऐसे आदेश प्रसारित कर सकता है जो निजी विश्वविद्यालय को प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिबंधित करने का आदेश तब तक के लिए प्रसारित कर सकता है जब तक न्यूनताओं की प्रतिपूर्ति न कर ली गई हो।
- (3) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्रदान करता है किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं है, उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यवाही कर सकता है तथा जन-सामान्य को लोक अधिसूचना द्वारा सूचित करेगा। ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 24 के अधीन ऐसे निजी विश्वविद्यालय को जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है तथा ऐसी गैर निर्धारित उपाधियां देता है को दंडित किया जा सकता है।

### अध्याय-पाँच : निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

40. (1) यदि प्रायोजक निकाय अपने को विधिटित कराना चाहे या अधिनियम के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय को चलाना बंद करना चाहे, तो वह इस संबंध में अपनी योजना की सूचना विनियामक आयोग को देगा जिसमें पाठ्यक्रम व परीक्षा पूरी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा भविष्य की उस तिथि की भी सार्वजनिक घोषणा की जायेगी जिसके बाद फिर नये विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जायेगा।
- (2) इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग को यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजक निकाय को ऐसा निर्देश दे जो उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, यदि प्रायोजक निकाय उपधारा 1 के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो विनियामक आयोग विन्यास निधि को समपहत कर लेगा और पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने आदि के संबंध में या तो स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि विद्यार्थियों के हित किसी तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों विद्यार्थियों के लिए की गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे विन्यास निधि एवं/या विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से पूरा किया जायेगा।
41. (1) यदि विनियामक आयोग के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राज्य शासन को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत जारी ऐसे किसी निर्देश का विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन किया गया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय तथा प्रशासनिक कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह निजी विश्वविद्यालय को 45 दिन का कारण बताओ सूचना, इस आशय का जारी करेगा कि :-
- (क) क्यों न उसके परिसमापन का आदेश प्रसारित किया जावे,
  - (ख) क्यों न उपधारा (7) के अंतर्गत प्रबंध मंडल को निलंबित कर, प्रशासक नियुक्त कर दिया जावे.
- (2) यदि राज्य शासन की यह धारणा बनती है कि उचित जांच के लिये प्रबंध मंडल को निलंबित करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्रबंध मंडल को निलंबन के आदेश देगा और प्रायोजक निकाय के परामर्श से निजी विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु जांच पूर्ण होने की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे।
- (3) निजी विश्वविद्यालय को उपधारा (1) के तहत जारी की गई सूचना का उत्तर प्राप्त कर यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, कुप्रबंधन, कुप्रशासन या अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के आदेश प्रसारित करेगा जो आवश्यक हो।
- (4) उपधारा (3) के अंतर्गत राज्य शासन किसी भी आरोप की जांच के लिए कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी नियुक्त करेगा और उसे जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहेगा।
- (5) उपधारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का क्र. 40) के अंतर्गत निम्नांकित मामलों के संबंध में किसी बाद के निराकरण हेतु आवश्यक हों यथा-

- (क) गवाहों को समन्स जारी करने तथा उनके उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा किसी व्यक्ति का शपथ पर परीक्षण करना.
- (ख) किसी दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री जो साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हो, का अन्वेषण प्रस्तुत किया जाना.
- (ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजानिक अभिलेख मंगवाया जाना.
- (घ) अन्य कोई बिन्दु जो निर्धारित की जावे.
- (6) इस अधिनियम के अंतर्गत जॉच कर रहे प्रत्येक जॉच अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का क्र. 2) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजन हेतु व्यवहार न्यायालय माना जावेगा.
- (7) जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यदि राज्य शासन संतुष्ट होता है कि वित्तीय कुप्रबंधन और कुप्रशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निजी विश्वविद्यालय को विधानित करने का आदेश देगा अथवा निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को चलाये रखने हेतु एक प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा जिसे शासी निकाय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।
- परंतु विघटन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि को अधिनियम की अनुसूची से हटा न दिया जाये।
- (8) उपधारा (7) के अंतर्गत समापन की अधिसूचना प्रसारित करने के समय राज्य शासन वर्तमान पाद्यक्रम की समाप्ति के अंत तक कार्य नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन के संचालन हेतु व्यवस्था करेगा।
- (9) उपधारा (8) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की व्यवस्था की अवधि में राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि का उपयोग किया जावेगा तथा अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो स्वयं के हेतु जब्त किया जायेगा।
- (10) जॉच की प्रक्रिया में और विद्यार्थियों के प्रवेश पूर्ण होते तक हुए सभी व्यय विश्वविद्यालय के विनास निधि और सामान्य निधि से पूर्ण किये जायेंगे।

### अध्याय-छ: : प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति.

42. (1) राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) ऐसे नियम विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना निम्नलिखित बातों के बारे में सभी अथवा किसी का प्रावधान होगा यथा-
- (क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया तथा धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत देय शुल्क,
- (ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन में निहित अन्य विवरण,

- (ग) धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत विन्यास निधि के स्थापना की विधि, राशि के विनियोजन की विधि, प्राप्त आय की प्रयोजक निकाय को भुगतान की विधि, उसके सम्पहत करने की विधि तथा उसका उपयोग करने की विधि,
- (घ) धारा 12 (ड) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त शुल्क और इस प्रकार संकलित राशि को संचित निधि में जमा करने की विधि,
- (ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत अन्य विषय, जिनका प्रावधान संविधि द्वारा किया जाना है,
- (च) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा-शर्तों आयोग की बैठकों की विधि एवं आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा-शर्तों किसी विशेष प्रयोजन के लिए आयोग के कार्यों से व्यक्तियों को जोड़ना आयोग कि निधियों, इसके बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा तथा अंकेक्षण और इस प्रकार की अन्य बातें जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन आयोग के समुचित कृत्यों के लिए अपेक्षित हैं,
- (छ) इस अधिनियम के नियम द्वारा निर्धारित अन्य कोई बिन्दु जो आवश्यक हैं या हो सकते हैं.
- (3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेगे.
43. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के असंगत जैसा आवश्यक समझे या कठिनाईयों को दूर करने के लिए समीचीन हो, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रवाधान कर सकती है। कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियाँ।
44. छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक-2) एवं इस अधिनियम के प्रभावशील होने के ठीक पहले तक, यदि कोई आदेश, नियम या संकल्प हो तो जैसी भी स्थिति हो वे इसके उपरान्त, विखंडित या निरस्त माने जावेगे। निरसन एवं व्यावृति।
- इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन धारा 5 एवं 6 को छोड़कर, सभी आदेश या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा दिए गए या कि, की गई कार्यवाही समझी जायेगी।